न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 98 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 228

1. होशियारसिंह पुत्र पितराम उम्र 55 वर्ष जाति खाती निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. धर्मा पुत्री पितराम जाति खाती निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. मूर्ति पुत्री पितराम जाति खाती निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. शारदा पुत्री पितराम जाति खाती निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.........वादीगण

– बनाम –

1. औमप्रकाश पुत्र भगवाना जाति खाती निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. भतेरी पुत्री भगवाना जाति खाती निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. कृष्णा पत्नि कंवरसिंह
4. मुकेश पुत्र कंवरसिंह
5. उमेश पुत्र कंवरसिंह
6. पुष्पा पुत्री कंवरसिंह
7. नीलम पुत्री कंवरसिंह

   } जातिगण खाती नि. ढाणी भालोठ तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

8. कृष्ण कुमार पुत्र उमराव
9. जयदयाल पुत्र ठाकरसी
10. बाबुलाल पुत्र उमराव
11. मदनलाल पुत्र उमराव
12. रोहताश पुत्र ठाकरसी

   } जाति खाती नि. ढाणी भालोठ तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

13. संतोष देवी पत्नि राजपाल जाति जाट निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
14. रामा देवी पत्नि हवासिंह
15. अमन पुत्र हवासिंह
16. मंजीत पुत्री हवासिंह
17. सीमा पुत्री हवासिंह

   } जाति खाती नि. ढाणी भालोठ तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

18. औमप्रकाश पुत्र गणपत [illegible] पितराम जाति [illegible] निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) हाल आबाद [illegible] जिला महेन्द्रगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

19. हेमराज पुत्र हनुमान नवीरा गणपत जाति खाती निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) हाल आबाद डालनवास जिला महेन्द्रगढ (हरि.)
20. ताराचन्द पुत्र हनुमान नवीरा गणपत जाति खाती निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) हाल आबाद डालनवास जिला महेन्द्रगढ (हरि.)
21. रामनिवास पुत्र ठाकरसी जाति खाती निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
22. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
23. दी सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
24. कृष्णा पुत्री महावीर पत्नि जाति जांगीड़ निवासी सिलारपुर तह. नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ (हरि.)

25. तोफान पुत्र महावीर
26. दुलीचन्द पुत्र उदेराम
27. प्रमेश्वरी देवी पत्नि दयाराम
28. प्रमोद पुत्र महावीर
29. मदन प्रकाश पुत्र उदेराम
30. माया पुत्री महावीर
31. रतनलाल पुत्र उदेराम
32. रतिराम पुत्र श्योलाल
33. रविदत पुत्र श्योलाल
34. राकेश कुमार पुत्र दयाराम
35. राजेश कुमार पुत्र दयाराम
36. विकाश कुमारपुत्र दयाराम

(25–36) जाति जांगीड़ निवासी ढाणी भालोठ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज.

37. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... प्रतिवादीगण

<u>दावा – घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती</u>

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादीगण के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही की गई

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक – 6/2/2023

वादीया की ओर से हस्तग[illegible] घोषणात्मक [illegible]न संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि वाके ग्राम ढाणी [illegible] खेतड़ी वर्तमान तहसील बुहाना स्थित भूमी गत ख.न. 248 [illegible] गत ख.न. 266 रकबा 9 बिस्वा, गत

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ख.न. 268 रकबा 17 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार मनभर, ठाकरसिंह, पितराम, गणपत पुत्रान पिराना थे। जिसमें पितराम पुत्र पिराना का 1/4 हिस्सा था जिस वह शान्तिपूर्वक काबिज कास्त था तथा ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि गत ख.न. 250 रकबा 8 बिस्वा, गत ख.न. 255 रकबा 9 बिस्वा, गत ख.न. 256 रकबा 9 बिस्वा, गत ख.न. 258 रकबा 9 बिस्वा, गत ख.न. 273 रकबा 10 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के खातेदार भगवानाराम पुत्र तनसुख व पितराम पुत्र पिराना हिस्सा बराबर के खातेदार थे अर्थात वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पतराम उर्फ पितराम पुत्र पिराना का 1/2 हिस्सा था जिस पर वह शान्तिपूर्वक काबिज कास्त था।

2. यह कि वाके ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि गत ख.न. 33/2 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, गत ख.न. 75/5 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के 1/3 हिस्सा का खातेदार वादीगण का हकपूर्वाधिकारी पितराम पुत्र पिराना था तथा गत ख.न. 380 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, गत ख.न. 301/1 रकबा 10 बिस्वा, गत ख.न. 306 रकबा 1 बीघा, गत ख.न. 375/2 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 8 बीघ 19 बिस्वा में भी वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पितराम पुत्र पिराना 1/3 हिस्से का खातेदार था।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पितराम पुत्र पिराना खातेदार था एवं राजस्व कर्मचारीयों ने राजस्व रिकार्ड में पितराम का नाम शुरु में सही दर्ज किया था जैसे जैसे राजस्व रिकार्ड नया बनता गया वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पितराम पुत्र पिराना का नाम राजस्व कर्मचारीयों ने कभी पितराम तो कभी पतराम दर्ज कर दिया उसके बाद जब बन्दोबस्त हुआ तो बन्दोस्त विभाग ने हाल ख.न. 244 ख.न. 245 ख.न. 252 ख.न. 261 ख.न. 397 जो गत ख.न. 255 ख.न. 256 ख.न. 258 ख.न. 273 ख.न. 250 से बने है इसमें वादीगण के हक पूर्वाधिकारी पितराम पुत्र पिराना का नाम पतराम पुत्र बिशना दर्ज कर दिया तथा भूमि हाल ख.न. 253 ख.न. 257 ख.न. 393 की खातेदारी में वादीगण मे पिता का नाम पतराम पुत्र पीरदान दर्ज कर दिया तथा ख.न. 57 ख.न. 284 ख.न. 290 ख.न. 292 ख.न. 607 ख.न. 608 ख.न. 624 किता 7 रकबा 2.55 है. में वादीगण के पिता का नाम पितराम पुत्र किशना दर्ज कर दिया गया जबकि ख.न. 125 की खातेदारी में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम पितराम पुत्र पिराना सही दर्ज किया गया इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारीयों ने वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पितराम पुत्र पिराना का नाम कभी पतराम पुत्र पीरदान कभी पतराम पुत्र किशना कभी पितराम पुत्र किशना दर्ज कर दिया जबकि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम पितराम पुत्र पिराना है राजस्व कर्मचारीयों ने बिना किसी आधार अधिकार के वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज किया है।

4. यह कि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पितराम पुत्र पिराना की मृत्यु दिनांक 11.02.2017 को हो चुकी है वारिसान उसके वादीगण वारिसान है वादीगण की माता की मृत्यु हो चुकी है वादीगण के हकपूर्वाधिकारी की मृत्यु के बाद भूमि ख.न. 125 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज हो गयी है लेकिन शेष रही भूमि ख.न. 57

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ख.न. 607 ख.न. 608 ख.न. 624 किता 4 रकबा 2.18 है. मे वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पितराम पुत्र पिराना का नाम पीतराम पुत्र किशना दर्ज होने एवं ख.न. 284 ख.न. 290 ख.न. 292 किता 3 रकबा 0.37 है. में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम पीतराम पुत्र किशना दर्ज होने व ख.न. 244 ख.न. 245 ख.न. 252 ख.न. 261 ख.न. 397 किता 5 रकबा 0.56 है. में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम पतराम पुत्र किशना दर्ज होने व ख.न. 253 एवं ख.न. 257 किता 2 रकबा 0.33 है. में वादीगण के हक पूर्वाधिकारी का नाम पतराम पुत्र पीरदान दर्ज होने से एवं ख.न. 393 में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम पतराम पुत्र पीरदान दर्ज होने वादीगण के नाम विरासतन नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ है इस प्रकार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नही होने सकी है तथा वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ खाता संयुक्त रहने से वादीगण को अपनी भूमि की सीमाऐ कायम रखने एवं अन्यत्र उपयोग में भारी परेशानी होती है जिससे वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है।

5. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पितराम पुत्र पिराना की खातेदारी की होने पितराम की मृत्यु होने एवं पितराम का नाम पतराम दर्ज होने कही पितराम के पिता का नाम किशना कही पितराम पुत्र पीरदान दर्ज होने से वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नही होने व वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ खाता संयुक्त रहने से पैदा हुआ है इसलिये दावा अन्दर मियाद है वैसे भी इस प्रकार के दावों के लिये कानून में कोई मियाद निर्धारित नही है।

6. यह कि वाद वर्णित भूमी वाके ग्राम ढाणी भालोठ में स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद मे स्थित हैं इसलिए यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

7. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए एक रूपया कोर्ट फीस नियत है व दावा खाता विभाजन के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस नियत हैं व इसलिए दावा रिकार्ड दुरुस्ती के लिये भी 1/–रू. कोर्ट फीस नियत है इसलिए दावा कुल 3 रूपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

8. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति में हैं एवं वाद पत्र के समर्थन पत्र वादी का शपथ पत्र पेश हैं। तथा वाद वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकार्ड पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 57 ख.न. 607 ख.न. 608 ख.न. 624 किता 4 रकबा 2.18 है. में पीतराम पुत्र किशना के स्थान पर वादीगण को 1/3 हिस्सा का तथा ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि ख.न. 284 ख. न. 290 ख.न. 292 किता 3 रकबा 0[illegible] पीतराम पुत्र किशना के स्थान पर वादीगण को 1/3 हि[illegible] ख.न. 245, ख.न. 252 ख.न. 261 ख.न. 397 किता 5 रकबा 0.56 है. में प[illegible] पुत्र किशना हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादीगण को 1/[illegible] स्थित भूमि ख.न. 253

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

ख.न. 257 किता 2 रकबा 0.33 है. में पतराम पुत्र पीरदान के स्थान पर वादीगण को 1/4 का हिस्सा तथा भूमि ख.न. 393 किता 1 रकबा 0.11 है. मे पतराम पुत्र पीरदान हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादीगण को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने की कृपा करे एवं पतराम पुत्र पिरदान एवं पितराम पुत्र किशना पतराम पुत्र किशना का नाम हजफ कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की कृपा करे।

(ख) कि वाके ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि ख.न. 125 रकबा 3.74 है. में वादीगण के 20/144 हिस्सा का ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि ख.न. 57 ख.न. 607 ख.न. 608 ख.न. 624 किता 4 रकबा 2.18 है. में वादीगण के 1/3 हिस्सा का ख.न. 284 ख.न. 290 ख.न. 292 किता 3 रकबा 0.37 है. में वादीगण के 1/3 हिस्सा ख.न. 244 ख.न. 245 ख.न. 252 ख.न. 261 ख.न. 397 किता 5 रकबा 0.56 है. में वादीगण के 1/2 हिस्सा का तथा ख.न. 393 रकबा 0.11 में वादीगण के 1/4 हिस्सा का तथा ख.न. 253 ख.न. 257 किता 2 रकबा 0.33 है. में वादीगण के 1/4 हिस्सा का खाता प्रतिवादीगण से सीमाकंन एवं मापन कर विभाजित किये जाने की कृपा करे।

(ग). कि दावा वादीगण विरूद प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीगण जिसके वाजिब हकदार हो वादीगण को दिलवाया जाने कि कृपा करें

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई साक्ष्य वादी में गवाह पी.डब्लू 1 होशियार सिंह के ब्यान दर्ज किये गये दस्तावेजी साक्ष्य में वाद वर्णित भूमि की जमाबन्दी प्रदर्श 1 लगायत 6 व मिसल प्रदर्श 7 व 8 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 9 पेश किये गये तथा बन्दोबस्त पूर्व की जमाबन्दी प्रदर्श 10 लगायत 28 पेश की गई । नाम दुरूस्ति हेतु ग्राम पंचायत ढाणी भालोठ द्वारा प्रमाण पत्र प्रदर्श 29 प्रहचान पत्र प्रदर्श 30 आधार कार्ड प्रदर्श 31 मृत्यु प्रमाण पत्र पितराम का प्रदर्श 32 पेश किये तथा समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पर गौर किया गया ।

वादी ने नाम शुद्ध करने की घोषणा के अलावा शेष अनुतोष नही चाहने हेतु निवेदन किया ।

बहस सुनी गई वादीगण के पिता का नाम अलग – अलग खातो मे अलग – अलग दर्ज हैं जबकि आधार कार्ड , मृत्यु प्रमाण पत्र , निर्वाचन पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत ढाणी भालोठ के प्रमाण पत्र में वादीगण के पिता का नाम पितराम दर्ज हैं इसलिए वादीगण का यह दावा डिक्री योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

— :: आदेश ::—

अतः ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 57 ख.न. 607 ख.न. 608 ख.न. 624 किता 4 रकबा 2.18 है. में पीतराम पुत्र किशना के स्थान पर वादीगण को 1/3 हिस्सा का तथा ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि ख.न. 284 ख.न. 290 ख.न. 292 किता 3 रकबा 0.37 है. मे पीतराम पुत्र किशना के स्थान पर वादीगण को 1/3 हिस्सा का तथा ख.न. 244 ख.न. 245, ख.न. 252 ख.न. 261 ख.न. 397 किता 5 रकबा 0.56 है. मे पीतराम पुत्र किशना हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादीगण को 1/2 हिस्सा का एवं ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि ख.न. 253 ख.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

257 किता 2 रकबा 0.33 है. में पतराम पुत्र पीरदान के स्थान पर वादीगण को 1/4 का हिस्सा तथा भूमि ख.न. 393 किता 1 रकबा 0.11 है. मे पतराम पुत्र पीरदान हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादीगण को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किये किया जाता हैं एवं पतराम पुत्र पिरदान , पितराम पुत्र किशना एवं पतराम पुत्र किशना का नाम हजफ किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिकी जारी हों ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 6/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 98 /2022 सीसीएमएस नम्बर :- 2022/228

होशियारसिंह आदि बनाम औमप्रकाश आदि

दावा बाबत खाता घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिती, एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 6/2/23 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" अतः ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 57 ख.न. 607 ख.न. 608 ख.न. 624 किता 4 रकबा 2.18 है. में पीतराम पुत्र किशना के स्थान पर वादीगण को 1/3 हिस्सा का तथा गांव ढाणी भालोठ स्थित भूमि ख.न. 284 ख.न. 290 ख.न. 292 किता 3 रकबा 0.37 है. में पीतराम पुत्र किशना के स्थान पर वादीगण को 1/3 हिस्सा का एवं ख.न. 244 ख.न. 245, ख. न. 252 ख.न. 261 ख.न. 397 किता 5 रकबा 0.56 है. में पतराम पुत्र किशना हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादीगण को 1/2 हिस्सा का एवं गांव ढाणी भालोठ स्थित भूमि ख.न. 253 ख.न. 257 किता 2 रकबा 0.33 है. में पतराम पुत्र पीरदान के स्थान पर वादीगण को 1/4 का हिस्सा तथा भूमि ख.न. 393 किता 1 रकबा 0.11 है. मे पतराम पुत्र पीरदान हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादीगण को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किये किया जाता हैं एवं पतराम पुत्र पिरदान , पितराम पुत्र किशना एवं पतराम पुत्र किशना का नाम हजफ किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 6/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested